

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 82/18

- अनवान :
1. धर्मपाल पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
 2. सत्यनारायण पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
 3. सुभाष पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. रोशनी पुत्री रामदेव जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. चमेली पुत्री रामदेव जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. गोरा पुत्री रामदेव जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. एसबीआई भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 खचवाना में वकीलवादी श्री रामस्वरूप देहड़ू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 बारानी के खाता सं० 39/36 चक 4 डीपीएन के खाता सं. 87/89 चक 6 डीपीएन के खाता सं. 76/79के कि कुल वाद भूमि में से चक 4 डीपीएन के खाता सं. 87/89 के मु० न. 35 के किला न. 6, 7, 15 कुल 0.759 हैक्टर में वादीगण का 6/14 व प्रतिवादी सं 1 का 1/14 हिस्सा, चक 2 बारानी के मु० न. 42 के किला न. 3 ता 5, 7, 8, 13 ता 18, मु० न० 50 के किला न. 13/1, कुल 2.660 हैक्टर बारानी, तथा 6 डीपीएन के खाता सं. 76/79 के मु० न० 1 के किला न. 16/2, 17, 24, 25, मु० न. 8 के किला न. 4 ता 7, 14 कुल 1.985 हैक्टर नहरी मय खाला रास्ता में वादीगण 1 ता 3 का 6/7 हिस्सा व प्रतिवादी रामदेव का 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज की जावे व शेष भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम यथावत रखी जावे। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)

उपखण्डाधिकारी R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़